सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 23/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :– 23.01.2025

1. सुन्दर पत्नि कालू बैरवा जाति बैरवा निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली
2. देवबाई पुत्री कालू बैरवा जाति बैरवा निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली
3. शान्ती पुत्री कालू बैरवा जाति बैरवा निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली
4. कल्याण पिता कालू बैरवा जाति बैरवा निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री महेश नामा
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 30/06/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 36 ख.स. 3064/686, 3065/687 कुल किता 2 कुल रकबा 5.5828 हैक्टयेर वाके ग्राम ठीकरदा पटवार हल्का ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज० में स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के खातेदार प्रार्थीगण के पिता कालू आ० लालू थे लेकिन जमाबन्दी मे प्रार्थीगण के पिता का नाम कालू आ० काल्या दर्ज किया हुआ है उक्त इन्द्राज गलत एवं अशुद्ध है जबकि प्रार्थीगण के पिताजी का वास्तविक नाम कालू पिता लालू बैरवा है प्रार्थीगण के पिता के सभी सरकारी दस्तावेजात, राशनकार्ड, आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड व विद्युत विभाग के बिल व बैंक पासबुक व पेशन कार्ड आदि में प्रार्थीगण के पिता का नाम कालू पिता लालू बैरवा ही दर्ज है लेकिन जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम कालू पिता काल्या गलत दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थीगण के पिता का नाम कालू पिता काल्या गलत दर्ज कर दिये जाने से एवं प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिताजी का नाम कालू पिता लालू बैरवा अंकित होने से प्रार्थीगण उक्त भूमि का नामान्तरण नही खुलवा पा रहा है बैंक से ऋण वगेरा व सहकारी योजनाओ का लाभ नही उठा पा रहा है। कृषि भूमि खाता संख्या 36 ख.स. 3064/686, 3065/687 कुल किता 2 कुल रकबा 5.5828 हैक्टयेर वाके ग्राम ठीकरदा पटवार हल्का ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज० में स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के खातेदार प्रार्थीगण के पिता कालू

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

आ० लालू थे लेकिन जमाबन्दी मे प्रार्थीगण के पिता का नाम कालू आ० काल्या दर्ज किया हुआ है उक्त इन्द्राज गलत एवं अशुद्ध है जबकि प्रार्थीगण के पिताजी का वास्तविक नाम कालू पिता लालू बैरवा है प्रार्थीगण के पिता के सभी सरकारी दस्तावेजात, राशनकार्ड, आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड व विद्युत विभाग के बिल व बैंक पासबुक व पेशन कार्ड आदि में प्रार्थीगण के पिता का नाम कालू पिता लालू बैरवा ही दर्ज है लेकिन जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम कालू पिता काल्या गलत दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थीगण के पिता का नाम कालू पिता काल्या गलत दर्ज कर दिये जाने से एवं प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिताजी का नाम कालू पिता लालू बैरवा अंकित होने से प्रार्थीगण उक्त भूमि का नामान्तरण नही खुलवा पा रहा है बैंक से ऋण वगेरा व सहकारी योजनाओ का लाभ नही उठा पा रहा है। प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत दर्ज कालू पिता काल्या के अंकन को विलोपित कर उसके स्थान पर प्रार्थीगण के पिता का नाम कालू पिता लालू बैरवा करने का अनुरोध किया तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहां और प्रार्थी ने तहसीलदार साहब हिण्डोली व राजस्व लोक अदालत केम्प ठीकरदा में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रार्थी का नाम दुरूस्त नहीं किया गया है और अन्तिम बार राजस्व केम्प तहसील कार्यालय में लगा तो उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया इस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का कारण दिनांक 15.12.2024 को उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम ठीकरदा पटवार हल्का ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने एवं लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी कृषि भूमि खाता संख्या 36 खसरा संख्या 3064/686, 3065/687 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5828 हैक्टेयर वाके ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली में दर्ज मुस्मात प्रार्थीगण के पिता का नाम कालू पिता काल्या के अंकन को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर प्रार्थीगण के पिता का नाम कालू पिता लालू बैरवा किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/25/964 दिनांक :–05.06.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम ठीकरदा की भूमि खाता संख्या 36 में कालू पुत्र काल्या जाति चमार खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक मजमा–ए–आम जानकारी व मृत्यु प्रमाण पत्र कालू पुत्र लालू फौत हो चुका है, मुताबिक जॉच कालू पुत्र काल्या व कालू पुत्र लालू एक ही व्यक्ति था। मृतक खातेदार कालूलाल पुत्र लालू बैरवा के नाम ग्राम ठीकरदा में भूमि खसरा संख्या 3062/674 व 3063/675 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2266 हैक्टेयर भूमि गैरखातेदारी में थी, जो वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी है। उक्त खाता नम्बर में दर्ज नाम कालू पुत्र काल्या व कालू पुत्र लालू एक ही व्यक्ति है। जिसको कालू पुत्र काल्या के स्थान पर कालू पिता लालू दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता व पति का सही नाम कालू पुत्र लालू है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, भारत निर्वाचान आयोग पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व जमाबंदी खाता संख्या 500 ग्राम ठीकरदा पेश किए है जिसमें प्रार्थीगण के पिता व पति सही का नाम कालू पुत्र लालू दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: <u>क्रियात्मक आदेश</u> :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम <u>ठीकरदा पटवार मण्डल ठीकरदा</u> के खाता संख्या खाता संख्या 36 के खसरा संख्या 3064 / 686 व 3065 / 687 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5828 हैक्टेयर में दर्ज कालू पुत्र काल्या चमार के स्थान पर कालू पुत्र लालू बैरवा शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 30.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446